(3)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मडल ग्वालियर, खण्डपीठ रीवा (म0प्र0)

निगरानी 973-III-15

श्री एस.के. पाण्डेय एड. द्वारा पेश किया गया। 6.4.15

बल्क कोर्ट कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

अशोक साहू तनय स्व0 श्री भगवानदीन साहू निवासी लोहिया मार्ग कटरा रीवा, तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) ....**आवेदक / निगरानीकर्ता**

बनाम

शासन मध्यप्रदेश .... **अनावेदक / गैर निगराकार**

88 6.4.15

निगरानी विरुद्ध न्यायालय कलेक्टर रीवा, प्र.क. 04 / अ-20 / (I) पुर्नविलोकन / 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-रा0संहिता 1959ई

क्रमांक 4984 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 10-4-15 को प्राप्त

संक्षिप्त तथ्य

यह कि आवेदक कटरा रीवा का पुस्तैनी निवासी है, भूखण्ड क. 20 प्लाट नं. 1528/2 रकवा 803 वर्गफिट स्थित कटरा रीवा आवेदक की पुस्तैनी भूमि है जिसमें वह पुस्तैनी रूप से आबाद है। उक्त रकवे के अतिरिक्त मौके पर कोई भी शासकीय रकवा उपलब्ध नहीं है।

2— यह कि आवेदक अपने पुस्तैनी जर्जर मकान जो गिरने के कगार में था के स्थान पर विधिवत नगरपालिक निगम रीवा से मंजूरी लेकर नव निर्माण कराना प्रारंभ किया तभी आवेदक का पड़ोसी अब्दुल वहीद जो आवेदक के कब्जे दखल आबादी की भूमि को हथियाना चाहता है, दुर्भावना पूर्वक तहसील न्यायालय में आवेदक के निर्माण कार्य रोके जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा रा.नि. से जांच प्रतिवेदन मंगाया गया जो दिनांक 25.06.13 को जांच प्रतिवेदन दिया गया जिसमें यह पाया गया कि आवेदक अपने स्वामित्व के रकवा 803 वर्गफिट में मकान निर्माण कर रहा है, जिसके परिपेक्ष्य में दिनांक 01.07.13 को अब्दुल वहीद के आवेदन को निरस्त कर दिया गया।

3— यह कि अब्दुल वाहिद को तहसील से सफलता न मिलने पर दुर्भावना पूर्वक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्र.क्र. 64 / 20(1)94—95 आदेश दिनांक 13.09.95 कें पुर्नविचार एवं समीक्षा आवेदन लगभग 18 वर्ष उपरांत प्रस्तुत किया गया जबकि उक्त व्यक्ति का किसी प्रकार से कोई हक व हित कतई नहीं था। यद्यपि उक्त आवेदन निरस्त कर दिया लेकिन आवेदक के विरुद्ध निर्माण कार्य पर स्थगन जारी कर दिया गया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

अशोक साहू

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी973–तीन/2015 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-09-2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के आदेश दिनांक 04–3–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर के प्रकरण कमांक 64/अ–20(1)/1994–95 दिनांक 13–2–1995 द्वारा आवेदक के नाम प्रीमियम रूपये 7336.00 एवं भू–भाटक वार्षिक रूपये 405.00 पर स्वीकृत किया गया है। उक्त राशि जमा नहीं किये जाने के कारण आवेदक को नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समय के अन्दर जमा करने पर न्यायायलय का आदेश दिनांक 13–2–1995 स्वयमेव निरस्त किये जाने के आदेश दिये है। इसी कारण कलेक्टर ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन निरस्त किया है। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	